संक्षिप्त

पशु पक्षियों के लिए 30 फिट का जलघाट बनाया

बहरोड़/नीमराना।26/5/2026 क्षेत्र के गांव बिजोरावास के नजदीक जंगली जानवरों और पशु- पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था में ठाामीण युवाओं ने पक्का आरसीसी 30 फिट जल घाट का निर्माण करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि एक पक्के आर सी सी घाट का निर्माण पहले भी करवा चुके। जिसमें नियमित रूप से टैंकरों के माध्यम से पानी भरेंगे ताकि झुलसती गर्मी में पानी की कमी से जूझ रहे जंगली पशुओं एवं पक्षियों को राहत मिल सके। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में तेजी से हो रहे विकास और भौतिक संसाधनों के बढ़ते उपयोग के कारण प्राकृतिक जल स्त्रोत जैसे नदियां, तालाब और जोहड लगातार सूखते जा रहे हैं। जिसका सबसे अधिक असर जंगली जानवरों और पशु पक्षियों पर पड़ रहा है, जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। गर्मी के दिनों में यह संकट और गहरा जाता है, जिससे कई पशु पक्षी प्यास के कारण दम तोड देते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए गांव के 15 युवाओं ने आपसी सहयोग से इस दूसरे पानी के घाट का निर्माण स्वयं अपने हाथों से मेहनत करके खुद निर्माण कार्य करके किया है। निर्माण कार्य में होने वाला खर्च सभी ग्रामवासियों ने आपसी सहयोग से इक्कठा किया है।

धावक का स्वागत

टोंक। इंदौर के कार्तिक जोशी जो अल्ट्रा-एंड्योरेंस धावक हैं, जिनको मंगलवार को टोंक रोड से क्रॉस करते हुए कोटा की तरफ़ अपनी दौड लगा रहे थे। जिनका रामाज रिसोर्ट संचालक मोहित टेलर ने स्वागत करते हुए राजस्थानी परंपरा में तिलक माला साफा दुप्पटा पहना कर स्वागत किया तथा रात्रिभोज व टीम के साथ रात्रि विश्राम के लिए निमंत्रण दिया। उल्लेखनीय है कि कार्तिक एशिया एवं ओशिनिया में 100 किलोमीटर में चैम्पियनशिप और कॉमरेड्स मैराथन में रजत पदक विजेता है। जिसने बैकयार्ड अल्ट्रा में 42 घंटे का भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। वे टेनेसी के बिग्स बैकयार्ड अल्ट्रा कृ विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अल्ट्रा रेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा भारतीय भी हैं। कार्तिक ने कारगिल से कन्याकुमारी तक 4,200 किलोमीटर की दौड़ शुरू कर 55 दिनों मे सफल किया।

जल संरक्षण का संदेश

दूदू । सरकार द्वारा चलाए जा रहे बंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत दूंदू स्थित छापरवाडा बांध पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाकर जल स्त्रोत के संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया इस दौरान को उप खंड अधिकारी रमेश कुमार तहसीलदार मदन परमार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

टोंक: बनास नदी पर बने पुल का लोड टेस्ट किया

टोंक। जिला मुख्यालय के पास से गुजर रही बनास नदी पर करीब 135 करोड से बने गहलोद हाई लेवल ब्रिज (पुल) का आईआरसी और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार लोड टेस्ट(भार वहन क्षमता) करवाया जाएगा। इस दौरान ब्रिज के ऊपर से गाडियों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यह ब्रिज करीब साढ़े तीन किमी लंबा है।

अधिशासी अभियंता नागेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि 26 मई को लोड टेस्ट से संबंधित मशीनरी शिफ्ट करवा कर लोड टेस्ट सम्बन्धित कार्यवाही शुरू की गई।

उन्होंने बताया कि टेस्टिंग के दौरान विभाग के इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो लोड टेस्ट की मशीनों पर निगरानी रखेंगे। यातायात पूर्णतया बंद करने को लेकर प्रशासन से सहयोग की मांग की है, साथ ही लोड टेस्ट के दौरान ब्रिज के दोनों ओर पुलिस जाप्ता तैनात रहेगा।

26 से 30 मई तक ब्रिज के दोनों और यातायात बंद रहेगा। गहलोद गांव और उसके आगे से जिला मुख्यालय पर आने के लिए सभी गाडियां झिराना-सोहेला सडक मार्ग होते हुए टोंक आ सकेंगी। टोंक नगर परिषद क्षेत्र से गहलोद-मालपुरा जाने वाली गाडियां भी सोहेला-झीराना मार्ग से जा सकेंगी।

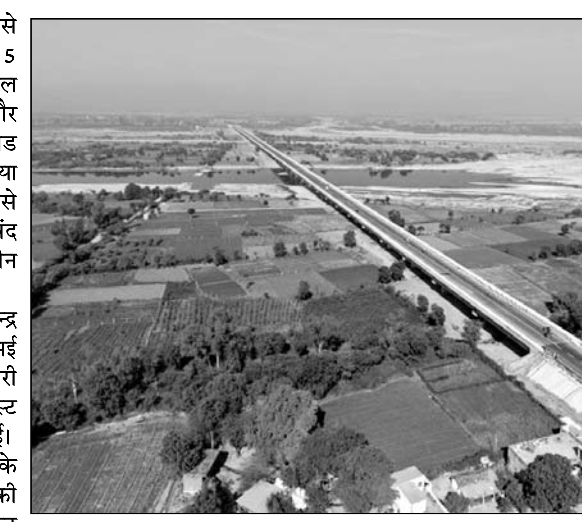

बनास नदी पर करीब 135 करोड से बने पुल का लोड टेस्ट किया।

■ गहलोद गांव और उसके आगे से जिला मुख्यालय पर आने के लिए सभी गाडियां झिराना-सोहेला सड़क मार्ग होते हुए टोंक आ सकेंगी।

45 वार्डों का बेसलाइन डाटा फाइनल

खैरथल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'विकसित राजस्थान-2027' विजन को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। खैरथल नगर परिषद में मंगलवार को हुई मैराथन वार्ड सभा में शहर के 45 वार्डों का बेसलाइन डाटा और जनता की आकांक्षाओं का एस्पिरेशन डाटा जांच-परखकर अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया। अब इसी डाटा के आधार पर हर वार्ड का 'मास्टर प्लान' बनेगा और बजट 2026-27 में विकास की रफ्तार तय होगी। आयुक्त मुकेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में नगर परिषद सभागार में आयोजित वार्ड सभा में वार्ड संख्या 01 से 45 तक के पार्षद, समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और हितधारक जुटे। बजट घोषणा वर्ष 2026-27 की बिंदु संख्या 56 के तहत चल रहे मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान के अंतर्गत पहले से जुटाए गए जनसांख्यिकीय, आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक आंकडों की बारीकी से समीक्षा की गई। बैठक में पोर्टल पर दर्ज बेसलाइन डाटा और एस्पिरेशन डाटा की शुद्धता एवं विश्वसनीयता जांची गई। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से मिले सुझावों के आधार पर जरूरी संशोधन कर फाइनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किया गया।

हरसोली और मुंडावर सीएचसी का औचक निरीक्षण

खैरथल। अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं, दवा मिल रही है या पर्ची थमाई जा रही है, लैब में जांच हो रही है या मरीज भटक रहा है? इन सभी सवाल का जवाब जानने जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश मंगलवार को बिना सूचना हरसोली और मुंडावर की सीएचसी पहुंच गए।कलेक्टर ने ओपीडी की लाइन में खडे मरीजों से बात की, भर्ती वार्ड में जाकर बेड पर मरीजों से हाल पूछा, दवा स्टोर में एक्सपायरी डेट चेक की और लैब में रोज होने वाले टेस्ट का हिसाब लिया। कलेक्टर ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को कहा कि अस्पताल में आने वाला हर मरीज वीआईपी है।

रामहेत यादव को मिल सकती है बोर्ड-निगम की कमान

किशनगढ़ बास। चुनावी हार-जीत से परे, राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी जमीन से जुड़ी पकड़ कभी कमजोर नहीं पडती। किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहेत यादव उन्हीं में से एक हैं। 2018 और 2023 में लगातार दो विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद क्षेत्र में उनकी 'जननेता' वाली छवि आज भी अडिग है। करीब 45 साल से भाजपा के लिए दिन-रात एक करने वाले रामहेत यादव को अब राजस्थान के किसी राज्य बोर्ड, निगम या आयोग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संगठन के गलियारों में इसकी चर्चा तेज है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2008 से 2018 तक लगातार दो बार किशनगढ़ बास से विधायक रहे रामहेत यादव वर्तमान में भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य हैं। सत्ता में हों या न हों, जनता-जनार्दन के बीच उनकी पहचान एक ऐसे नेता की है जो हर सुख-दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खडा रहता है। विरोधी खेमे से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता तक, जिले से दिल्ली तक सभी उनका राजनीतिक अनुभव और संगठन कौशल को स्वीकारते हैं ।

■ 2008 से 2018 तक किशनगढ़ बास से लगातार विधायक, अब भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य

केंद्र व राज्य सरकार के जनकल्याण शिविरों में रामहेत यादव की मौजूदगी तय मानी जाती है। वे खुद मोर्चा संभालकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देते हैं और पात्रों को लाभ दिलवाते हैं। संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, उसे जिम्मेदारी से पूरा करना उनकी आदत में शुमार है।

जल संरक्षण अभियान दूसरे दिन भी जारी

पावटा। जल ही जीवन है और इसके बिना सुरक्षित भविष्य की कल्पना अधूरी है, इसी सोच को साकार करने के लिए मंगलवार को उपखंड पावटा के ग्राम अमृत सरोवर, ग्राम चक्रतीर्थ, ठााम पंचायत टसकोला, पावटा कस्बे में वंदे गंगा जल संरक्षण जन भागीदारी अभियान पावटा उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा के नेतृत्व में दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान विधिवत जल एवं वृक्ष पूजन तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पीपल, नीम एवं बरगद के पौधों का पौधारोपण किया गया। महिलाओं द्वारा पारंपरिक कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला प्रशासन की पहल पर शुरू हुआ यह विशेष अभियान 25 मई से 5 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य जल स्त्रोतों का संरक्षण, पुनर्जीवन और आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। उपखंड पावटा क्षेत्र में इस अभियान को मिशन मोड में शुरू किया गया है। पंचायत समिति स्तर पर अलग-अलग क्लस्टर बनाकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, ताकि हर पंचायत में जल संरक्षण से जुड़े कार्य प्रभावी ढंग से पूरे किए जा सकें। अभियान के तहत तालाबों की साफ-सफाई, जल संठाहण संरचनाओं का रखरखाव, पौधारोपण, श्रमदान और वर्षा जल संरक्षण से जुड़े कार्य कराए जा रहे हैं। पावटा उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत की गई है। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र एवं सभी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण को लेकर विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की साफ-सफाई, मनरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से नए जल संरक्षण कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

जल संरक्षण जन भागीदारी अभियान पावटा उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा के नेतृत्व में दूसरे दिन भी जारी रहा।

41वें दिन भी धरना जारी

दूदू । निकटवर्ती बिचून कस्बे की पहाड़ियों में स्थित भैराणा धाम पर सरकार के द्वारा स्वीकृत रीको औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ रीको भगाओ भैराणा धाम बचाओ आंदोलन के दौरान श्रद्धालुओं एवं संत जनों द्वारा 41 वें दिन भी तपती धूप में धरना जारी रहा है साधु संतों द्वारा धाम की पवित्रता को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखा है गत 41 दिनों के दौरान जिला कलेक्टर प्रशासन एवं पुलिस के साथ ही रीको के अधिकारियों की वार्ताएं भी हुई तथा समझा इसका प्रयास किया गया लेकिन वार्ता सफल रही आंदोलनकारियों ने बताया कि भैराणा धाम की सीमा से औद्योगिक क्षेत्र को पूरी तरह से हटाने अथवा निरस्त करने पर कोई ठोस एवं लिखित आश्वासन नहीं मिलने से गतिरोध बना हुआ है संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं संत समाज द्वारा आगामी 27 मई को भैराणा धाम परिसर में महापंचायत आयोजित की जाएगी जिसकी तैयारियां जोर-जोर से की जाकर कमेटी का गठन कर दिया गया।

भावी पशु चिकित्सकों की सहभागिता विषय पर संगोष्ठी

स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जयपुर के अधिष्ठाता प्रो. धर्म सिंह मीना को चिकित्सकों ने पुष्प गुच्छ भेंट किया।

जयपुर, 26 मई। स्नातकोत्तर पशुचिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पी.जी.आई.वी.ई.आर.), जयपुर के पशुचिकित्सा संकुल (वी.सी.सी.) एवं विरबेक एनिमल हैल्थ प्राइवेट लि. के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों हेतु महाविद्यालय के सभागार में भावी पशु चिकित्सकों की सहभागिता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के अधिष्ठाता प्रो. (डॉ.) धर्म सिंह मीना ने कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी के लिए नहीं, अपितु स्वयं को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने, कौशल विकास करने और व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि पशुपालन में असीम सम्भावनाएं देखते हुए निजी क्षेत्र भी अब पशुपालन में रूचि दिखा रहा है। अत: हमें अपने आप को समर्थ एवं सक्षम बनाना पडेगा। कार्यक्रम में पशुचिकित्सा संकुल प्रभारी डॉ. सुरेश कुमार झीरवाल ने बताया कि संस्थान पूर्व में भी इस प्रकार के छात्र हितैषी कार्यक्रम आयोजित करवाता आया है और निकट भविष्य में भी इस प्रकार के नवाचार करवाते रहेगें। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया जिसमें कुल 48 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में संस्थान के तीन मैधावी विद्यार्थियों ने प्रथम 3 स्थान हासिल किये, जिसमें निखिल कुमार प्रथम, अल्पेष पाटनी द्वितीय एवं यषवर्धन सिंह राठौड तृतीय स्थान को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. निर्मल कुमार जेफ ने किया। संस्थान के अधिष्ठाता प्रो. (डॉ.) धर्म सिंह मीना ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित संकाय सदस्यों, चतुर्थ वर्ष विद्यार्थियों तथा अन्य को बधाई दी।

NAME CHANGE

मैं सोहन कंवर पत्नी श्री रामावतार सिंह निवासी चतुर्भुजपुरा तहसील निवाई शपथ करती हूँ कि पूर्व में मेरा नाम सुमनदेवी राजावत पत्नी श्री रामावतार सिंह था। अब मैंने मेरा नाम परिवर्तन करवाकर सोहन कंवर पत्नी श्री रामावतार सिंह लिया है। अब मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सोहन कंवर पत्नी श्री रामावतार सिंह ही है। मैं सोहन कँवर एवं सुमनदेवी राजावत एक ही महिला हूँ। सुमनदेवी राजावत पत्नी श्री रामावतार सिंह के नाम से कोई भी देनदारी होगी तो उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं रहूंगी।

मैं हरी प्रिया सावित्रीपिल्लाई पत्नी श्री जोई करीकाटटू माणी निवासी एफ-35, जगदम्बा नगर, धावास, अजमेर रोड जयपुर मैंने अपना नाम प्रिया जोई (PRIYA JOY) से बदलकर हरी प्रिया सावित्रीपिल्लाई (HARI PRIYA SAVITHRIPILLAI) रख लिया है। भविष्य में मुझे हरी प्रिया सावित्रीपिल्लाई (HARI PRIYA SAVITHRIPILLAI) के नाम से जाना जाये।

मैं सुमन देवी पत्नि महावीर प्रसाद लक्षकार निवासी धांधाली जिला जयपुर मेरे पुत्र नितिन कुमार लक्षकार, प्रिंस लक्षकार के पिता का नाम सत्य नारायण लक्षकार दर्ज था मेरे पूर्व पति का देहान्त हो गया। भविष्य में पुर्न: विवाह के बाद दोनों के पिता का नाम रिकार्ड में महावीर प्रसाद लक्षकार के नाम से जाना जावें।

मैंने अपना नाम मानवी पारीक से बदलकर मुदिता पारी (Mudeta Pareek) पुत्री सुशील पारीक रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे निवासी 26, 9 दुकान, पालीपेच, नजदीक डेजर्ट, झोटवाडा मार्ग जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना

मुकेश कुमार कटेजा ने दिनांक 04.05.2011 को पुलिस थाना-जवाहर नगर, जयपुर में एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि फ्लैट नम्बर-2/84, जवाहर नगर, जयपुर को उनके पुत्र घनश्याम कटेजा ने वर्ष 1999 में खरीदा था। वर्ष 2008 में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त फ्लैट के मूल आवंटन एवं कब्जा पत्र दिनांक 30.04.1998, मूल नियमितीकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.1999 तथा मूल आवंटी श्रीमती जसोदा बाई का निरस्तीकरण पत्र दिनांक 06.02.1999 कहीं खो गए हैं। घनश्याम कटेजा के विधिक वारिशों ने उक्त फ्लैट श्रीमती मंजू सोनी एवं श्री ओम प्रकाश सोनी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र बैचान कर दिया था। वर्तमान में श्रीमती मंजू सोनी एवं श्री अमित कुमार सोनी ने उक्त फ्लैट को श्रीमती पूजा असवाल को विक्रय करने का इकरार किया है और एस.बी.आई. बैंक से लोन प्राप्त कर रखा है। उपरोक्त फ्लैट बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को इससे आपत्ति हो, तो 15 दिवस में मय सबूत स्वयं अपनी आपत्ति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई भी आपत्ति शून्य समझी जावेगी। **अमित कुमार सोनी, एडवोकेट 2/49, जवाहर नगर, जयपुर. मो. : 9414240162**

खोया पाया

मेरे फ्लैट नम्बर 29-एच-08, गोदावरी अपार्टमेंट, प्रताप नगर, सैक्टर 29 का आवंटन पत्र क्रमांक 2181 दिनांक 18.06.2014 गुम हो गया है। सूचित करें-9799779912

मेरे मकान नम्बर 31/314 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर का Allotment cum possession letter+Seven days+eclaration कहीं खो गया। मिलने पर सूचित करें-वन्दना-8003879176

मेरा Flat No. 28/ST/L/397, SATLUJ APARTMENT प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल कार्यालय आदेश (5317/07.07.2022) सीडमनी लेटर, रजिस्ट्रेशन व सीडमनी पैमेन्ट जमा रसीद कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें-9314647425

मेरे प्लाट नं. बी-6 निजी खातेदारी की योजना रिधि सिधि विस्तार जगतपुरा जयपुर पंजीकृत जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान, रसीद और पट्टे के साथ सलंग्न स्टाम्प पेपर कही गुम हो गये है सूचित करें- अशोक कुमार कटारा मो.-7014340479

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 54/2026

चूंकि श्री सुमेर सिंह बोथरा प्रबंधक प्रन्यासी ने पंजीकृत प्रन्यास गजेन्द्र निधि ट्रस्ट, 182, बापूनगर, जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 200/ जयपुर/2012 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने प्रन्यास के प्रबंधक प्रन्यासी श्री सरदार सिंह कर्णावत व अन्य प्रन्यासियों का देहान्त हो जाने के कारण उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड से हटाने तथा उनके स्थान पर श्री नवरतन कोठारी, श्री मोफतरोज जी मुणोत, श्री कैलाश चन्द जी हीरावत, श्री सुमेर सिंह जी बोथरा को नवीन प्रन्यासी मनोनीत कर उनका प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 14/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।

आइदा तारीख पेशी 19/06/2026

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-7 (देखिये नियम 21) कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 630/2026

चूंकि श्री शिव कुमार निवासी प्लॉट न. 134, नंदपुरी मालवीय नगर जयपुर 302017 राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत विजयवर्गीय वैश्य राज सेवक परिषद संस्थान, संगम सामुदायिक केन्द्र एवं छात्रावास भवन सेक्टर-26, प्रताप नगर जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारां प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 21/5/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 28/7/26

(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6()DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/1060 Date : 26-05-2026

PUBLIC NOTICE

The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3568568	On Divider Opposite Dairy Booth No.3431, Shopping Centre Sector No.6, Ward No.72, Rajat Path, Mansarovar, Jaipur
2	IN 3569884	On Row Outside of JDA Park Shivam Nagar, Ramnagariya Ward No.68, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.

In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.

Deputy Commissioner (Revenue-I) Municipal Corporation, Jaipur

NOTICE TO SHOW CAUSE
(Appendix H, Form No.4)
In the High Court of judicature for Rajasthan, Bench at Jaipur
D.B.CIVIL REVIEW PETITION NO. 388/2017
IN
D.B.SPECIAL APPEAL(WRITS) NO.1678/2008
RADHEY SHYAM & ORS. VS BOARD OF REVENUE & ORS

To, Respondent No.
4/4, Neelam Sharma 60 years (Daughter) (Resident of 45, Bank Colony, Madhuvan, Alwar (Raj). At Present Residing in Jaipur (Raj.) Where as the above named Petitioner **Mr. RADHEY SHYAM** has made an application to this court that.

You are hereby warned to appear in the court in person or by a pleader duly instructed on the **03 Day of July 2026 at 10:30 AM** o'clock in the forenoon, to show cause against the application failing wherein, the said application will be heard and determined ex-party. Given under may hand and seal of this court on the **19 Day of May 2026.**

प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरे अभिभाष्य श्री सौरभ गोयल पुत्र श्री शिव कुमार गोयल, निवासी-7/140, विद्याधर नगर, जयपुर ने जरिये विक्रय इकरारनामा दिनांक-16.04.2026 सम्पत्ति स्थित प्लॉट नम्बर-235, मल्होत्रा : नगर, बी.के. आई. एरिया, विद्याधर नगर, जयपुर को सम्पत्ति स्वामी श्री मदनलाल वर्मा पुत्र श्री कालूराम, निवासी-झांझडियों की ढाणी, ग्राम छऊ, पोस्ट-छऊ, जिला झुन्झुनू (राज.) 333305 से क्रय किया है, कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय उक्त सम्पत्ति को उक्त मदनलाल वर्मा से क्रय-विक्रय या भारित करने का संव्यवहार उक्त सम्पत्ति बाबत् करता है, तो किया गया क्रय-विक्रय, भार का संव्यवहार मेरे अभिभाष्य के उक्त सम्पत्ति पर अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य होगा। किसी भी आपत्ति, उज्र बाबत् निम्न हस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें। सूचित रहें। भवदीय (सतीश मोदी), एडवोकेट मो.-93148-33316

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:- 1115 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:- 26/05/26

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 67/193 (HIG), (एरिया 189.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री कैप्टन ओम प्रकाश जानू पुत्र श्री ख्याली राम को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1054 दिनांक 30.06.1995 को जारी किया गया। श्री कैप्टन ओम प्रकाश जानू के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 05.09.1998 को उप पंजीयक सांगानेर, जयपुर, के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री कैप्टन ओम प्रकाश जानू द्वारा उक्त आवास को दिनांक 11.10.2024 के द्वारा श्री रितेश जैन पुत्र श्री राम कुमार जैन को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर-पंचम, के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री रितेश जैन के आवेदन करने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 1757 दिनांक 22.04.2025 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज किया गया। श्री रितेश जैन द्वारा उक्त आवास को दिनांक 16.02.2026 के द्वारा श्रीमती धोली देवी पत्नी श्री भुणा राम गुर्जर को विक्रय कर उप पंजीयक- एकादश जयपुर, के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/ क्रेती श्रीमती धोली देवी पत्नी श्री भुणा राम गुर्जर द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती धोली देवी पत्नी श्री भुणा राम गुर्जर का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त- प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

विवाधको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन आदेश 5 के नियम 1 और 5 न्यायालय सहायक कलेक्टर जि०जयपुर
छीतरमल बनाम जोरा व अन्य
वाद पत्र सं0 253/2024
वाद विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

बनाम:-1-अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल रहमान, आयु लगभग 60 साल जाति मुसलमान निवासी प्लॉट नंबर 26-27 मदीना नगर कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर राज०

उपरोक आपके विरुद्ध उपरोक के वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 8/6/2026 को दिन में 10 बजे दावे का उतर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय मे स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करे।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह वाद ता० 11/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।

(अदालत मोहर) न्यायाधीश सहायक कलेक्टर सांभर लेक (जयपुर)

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
साधारण प्रारूप
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय सहायक कलेक्टर जि०जयपुर
छीतरमल बनाम जोरा व अन्य
प्रार्थना पत्र सं०..138/2024
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रा०टी०ए०

बनाम:-1-अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल रहमान, आयु लगभग 60 साल जाति मुसलमान निवासी प्लॉट नंबर 26-27 मदीना नगर कालवाड रोड, झोटवाडा जयपुर राज०

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 8/6/26 को 10.00 बजे ए०एम० पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश को सुनवायी और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

अतः आज दि०11.06.2016 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अदालत मोहर) सहायक कलेक्टर सांभर लेक (जयपुर)

NAME CHANGE

मैं मुंशी नाई पुत्र बनवारीलाल जाती नाई निवासी गांव रिडखला तह.चुरू। यह कि मेरी पुत्री एकता की स्कूल में मेरा नाम मुंशी पंवार दर्ज हो गया जो गलत है। जबकि मेरा सही नाम मुंशी नाई है जो सही है। स्कूल रिकॉर्ड में मेरा सही नाम मुंशी नाई अंकित करवाना चाहता हूं।

कार्यालय उप तहसीलदार उप तहसील, धौला
क्रमांकः भू.अ./2026/6341 दिनांक 22.05.2026
आम-सूचना

प्रार्थीया खालिदा ईलाही पुत्री स्व. श्रीमती जमीला ईलाही जाति मुस्लिम निवासी 101 पी. एम. अलाबक्श बिल्डिंग एम. आई. रोड, जयपुर। राजस्थान ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्व. श्रीमती जमीला ईलाही पत्नी स्व. श्री एहसान ईलाही जाति मुस्लिम निवासी 101 पी. एम. अलाबक्श बिल्डिंग एम. आई. रोड जयपुर जिन की मृत्यु (मृत्यु प्रमाण पत्र अनुमार) दिनांक 05.05.2021 को हो गई है, जिसका ग्राम ताला पटवार हल्का ताला उप तहसील धौला तहसील जमवारामगढ़ में स्थित खसरा नंबर 690, 691, का "याददाश्त हिवा जुबानी" का नामान्तकरण खोला जाना है। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक स्व. श्रीमती जमीला ईलाही पत्नि, स्व. श्री एहसान ईलाही जाति मुस्लिम निवासी 101 पी. एम. अलाबक्श बिल्डिंग एम. आई. रोड, जयपुर राजस्थान के "याददाश्त हिवा जुबानी" के नामान्तकरण पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति सूचना या अन्य कोई तथय जो उक्त प्रकरण को प्रभावित करता हो कि जानकारी हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 26.05.2026 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त नियत दिनांक 26.05.2026 के उपरांत किसी भी व्यक्ति की कोई साक्ष्य/सबूत और प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूचित रहें।

उप तहसीलदार धौला जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 11360/2026

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी राकेश कुमार मीणा पुत्र स्व. हजारी लाल मीणा जाति.........विवाद स्थान डी-3-ए, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर

मृतक स्व. हजारी लाल मीना की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 06.07.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम हजारी लाल मीना पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति... निवासी डी-3-ए, जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 06 माह 07 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 05 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

प्रार्थी ने मृतक हजारी लाल के नाम प्रा.पत्र में वर्णित लॉकर व उसमें रखे दस्तावेज सामान उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है।

(अदालत मोहर) आज्ञा न्यायालय से वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपतली-बहरोड
मालीराम बनाम अशोक वगैरह

प्रार्थना पत्र धारा 251-ए, राज. टीनेन्सी एक्ट + T.I.

मुकदमा नम्बर- 226/20.05.2026

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र भैरूराम, 2. गुरुदयाल पुत्र भैरूराम जातियान अहीर, निवासीयान भैसलाना, तहसील पावटा, जिला कोटपूतली-बहरोड, राजस्थान

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अशोक कुमार पुत्र भैरूराम गुरुदयाल पुत्र भैरूराम जातियान अहीर निवासीयान भैसलाना, तहसील पावटा जिला कोटपूतली, बहरोड

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 05 माह 06 सन् 2026 को 10.00 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज दिनांक 25 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अदालत मोहर) उपखण्ड न्यायालय अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (जगतपुरा जोन)
नगर निगम जयपुर
(नन्दपुरी रेल्वे अण्डरपास के पास, जगतपुरा, जयपुर)

क्रमांक :- ज.स.अ./2026/89 दिनांक :- 22/05/2026

ई-निविदा सूचना संख्या - 04/2026-27

केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत उपर्युक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदाताओं से अधिशाषी अभियन्ता जगतपुरा जोन से संबंधित विकास कार्यो हेतु निविदाए आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट **www.jaipurmc.org** व राजस्थान सरकार के पोर्टल **http://sppp.raj.nic.in** तथा **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। उक्त निविदाओं को **(sppp.rajasthan.gov.in)** पोर्टल पर अपलोड करवा दिया गया है।

UBN No.- JMC2627WSOB00148

अधिशाषी अभियन्ता (जगतपुरा जोन) नगर निगम जयपुर

राज.संवाद/सी/26/3470

कार्यालय सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी, प्राथ. स्वा. केन्द्र सारेकला (तिजारा)

क्रमांक -2026/23 **खुली निविदा सूचना** दिनांक:25.05.2026

सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी प्राथ. स्वा. केन्द्र सारेकला (तिजारा) खैरथल-तिजारा द्वारा निम्न सेवाये उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत संस्था से निम्नानुसार निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	अमानत राशि रू.	निविदा शुल्क रू.	बोली प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर मैन विद मशीन (MNDYसंविदा)	180000/-	3600/-	100/-	31.05.2026 12.00 PM	31.05.2026 1.00 PM	31.05.2026 2.00 PM
2.	सफाई कार्य (24x7)	150000/-	3000/-		31.05.2026 12.00 PM	31.05.2026 1.00 PM	31.05.2026 2.00 PM

नियम एवं शर्ते-

1. निविदाऐं दोहरी बिड प्रणाली अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। पहला लिफाफा (क) तकनीकी बिड का होगा जिसमें अमानत राशि का डीडी/ बैंकर्स चैक, समस्त वांछित डॉक्युमेंट की प्रमाणित छाया प्रति मय निविदा फार्म लगाया जायेगा। डीडी/बैंकर्स चैक राजस्थान मेडिक्येर रिलीफ सोसाइटी, सारकेला के नाम से व खैरथल-तिजारा शाखा पर देय होगा। दूसरा लिफाफा (ख) वित्तीय बिड का होगा, जिसमें सिर्फ प्रस्तावित दरें ही दी जावेगी । तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी ।
2. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 31.05.2026 को दोपहर 1.00 तक जमा की जायेगी तथा 31.05.2026 को दोपहर 2.00 निविदा समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. तकनीकी विवरण एवं निविदा की शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध है। जो कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क जमा करा प्राप्त की जा सकती है ।
4. अधिक जानकारी **http://sppp.rajasthan.gov.in** वेबसाईट पर उपलब्ध है।
5. निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने के सम्बन्ध मे समस्त अधिकार कमेटी के पास रहेगा।

सचिव राज. मेडीकेयर रिलिफ सोसायटी प्राथ0स्वा0केन्द्र सारकेला,(तिजारा)